नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) सीधी भर्त्ती लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–08/2018) एवं सहायक अभियंता (विद्युत) सीधी भर्त्ती लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–08/2019) के संबंध में महत्वपूर्ण अनुदेश।

संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, प्रवेश–पत्र एवं उपस्थिति पत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश निम्नवत् हैंः–

1. इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
2. आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर प्रवेश–पत्र एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर परीक्षा मे शामिल होने की व्यवस्था की गई है।
3. आयोग के वेबसाईट पर www.jpsc.gov.in पर दिनांक–26.03.2021 से अभ्यर्थी प्रवेश–पत्र, अनुदेश एवं उपस्थिति पत्रक संबंधित लिंक पर अपना नाम एवं जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र (Admit Card) प्राप्त करने में कठिनाई हो तो आयोग के Helpline No. +919431301419/+919431301636 पर कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।
4. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किये गए प्रवेश पत्र उपस्थिति पत्रक एव परीक्षा केन्द्र की जाच कर लें। यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो आयोग के पूछताछ काउन्टर पर दिनांक–08.04.2021 से पूर्व कार्य दिवस में लिखित आवेदन देकर त्रुटि सुधार करा लें इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक एवं आवेदन के समय दिये गये फोटो की एक स्वहस्ताक्षरित प्रति (Passport size) तथा एक वैध (Valid) फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ ले जायें, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जायेगा।
6. अभ्यर्थी अपने उत्तर पुस्तिका/ओ0एम0आर0 शीट में आवश्यक जानकारियां प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र, उत्तर पुस्तिका/ओ0एम0आर0 शीट में अंकित अनुदेशों को भली भाँति पढ़कर ही प्रविष्ट करें। उत्तर पुस्तिका/ओ0एम0आर0 शीट में सही एवं वांछित सूचनाएं अंकित नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
7. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic Gadget रखने की अनुमति नहीं है। अतः अभ्यर्थियों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर कागज/पर्ची, मोबाईल फोन, Electronic Gadget सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ यथा बैग, पाठ्य–पुस्तिकाएँ, खाद्य–सामग्री, कीमती/मूल्यवान सामान एवं अस्त्र–शस्त्र इत्यादि साथ नहीं लायें। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
8. अभ्यर्थियों को खण्ड–2 के परम्परागत प्रश्न पत्रों के लिए प्रोग्रामिंग रहित बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर (Non Programming Battery Operated Pocket Calculator) परीक्षा भवन में लाने और उसका उपयोग करने की अनुमति होगी। परीक्षा भवन में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं होगी। यहां यह भी ध्यातव्य हो, कि अभ्यर्थियों को खण्ड–1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। अतएव खण्ड–1 के परीक्षा में वे इन्हें परीक्षा भवन में नहीं लायें। जहां आवश्यक समझा जायेगा अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में मानक एस0आई0 सारणी/चार्ट उपलब्ध कराई जायेगी।
9. अभ्यर्थी प्रश्न पत्रों का उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्रास्ट्रीय रूप (यथा 1,2,3,4,5,6 आदि) का ही प्रयोग करेंगे।
10. परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आरम्भ होने की निर्धारित अवधि से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुँचकर अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जायें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् आनेवाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। केन्द्राधीक्षक विशेष परिस्थितियों में नियत समय से 15 मिनट विलम्ब तक आने वाले परीक्षार्थी को स्वविवेक से प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, किन्तु 15 मिनट के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा–भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11. विकलांग कोटे के अभ्यर्थी श्रुतलेखक (Scribe) हेतु परीक्षा तिथि से 02 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित अपने केन्द्र पर उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा निर्देशित व्यवस्था किया जायेगा।
12. सभी उम्मीदवारों के लिए मास्क/फेस कवर एवं गब्लस पहनना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों ने मास्क/फेस कवर एवं गब्लस नहीं पहना होगा, उन्हें परीक्षा स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
13. तथापि, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकारियों द्वारा, सत्यापन किए जाने पर उम्मीदवारों को मास्क हटाना होगा।
14. उम्मीदवारों को अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी शीशी (छोटे आकार की) में हैंड सैनिटाइजर एवं पीने के लिए पारदर्शी पानी का बोतल लाना होगा।
15. उम्मीदवारों को कोविड–19 के मानदण्डों को अनुपालन करते हुए, परीक्षा हाल/कक्ष के भीतर तथा परीक्षा स्थल परिसर में सामाजिक दूरी और निजी साफ–सफाई का ध्यान रखना होगा।
16. अभ्यर्थियों को आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in से प्रवेश पत्र के साथ डाउनलोड किये गये स्वघोषणा पत्र को भरकर वीक्षक को सुपुर्द करना अनिवार्य होगा।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।

806